बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

:: **संकल्प** ::

पटना–15 दिनांक.........................

धान अधिप्राप्ति के प्रमादी मिलरों से संबंधित रफीगंज (औरंगाबाद जिला) थाना कांड सं०–229/12, दिनांक 12.12.2012 के अप्राथमिकी अभियुक्त श्री वकील प्रसाद सिंह, बि०प्र०से० (कोटि क्रमांक–714/11) जिला नजारत उप समाहर्त्ता, पटना (तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, औरंगाबाद) की गिरफ्तारी संबंधी प्राप्त सूचना के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 9 (1) (क) एवं नियम–9 (2) क में निहित प्रावधानों के तहत उन्हें विभागीय संकल्प ज्ञापांक–463 दिनांक 09.01.2018 द्वारा न्यायिक हिरासत की तिथि (दिनांक 28.11.2017) के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया था।

उक्त गिरफ्तारी/न्यायिक हिरासत के विरूद्ध श्री सिंह ने पटना उच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर किया। एतद्संबंधी सी०आर०डब्ल्यू०जे०सी०सं०–3355/18 में पारित आदेश (दिनांक 01.02.2018) एवं इस क्रम में विशेष न्यायिक दंडाधिकारी, गया द्वारा जी०आर०सं०–2433/12 में पारित आदेश के आलोक में ये दिनांक 28.04.2018 को न्यायिक हिरासत से मुक्त होकर दिनांक 30.04.2018 को जिला पदाधिकारी, पटना के समक्ष योगदान किये। प्रक्रियात्मक कारणों से निलंबन की प्रभावी तिथि (दिनांक 28.11.2017) के तीन माह के भीतर श्री सिंह के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु आरोप पत्र गठित नहीं हो सका है।

अतएव सम्यक् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 9 (7) के प्रावधानों के आलोक में दिनांक 28.02.2018 के प्रभाव से श्री सिंह के निलंबन अवधि को अगले 04 (चार) माह के लिए विस्तारित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय, आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(राम बिशुन राय)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–08/था०कां०–12–04/2017,सा०प्र०, 7261 **/पटना, दिनांक** 1-6-18

निबंधित
स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/मुजफ्फरपुर/प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/प्रशासी पदाधिकारी, बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि०,पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, पटना/मुजफ्फरपुर/अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना/श्री वकील प्रसाद सिंह, बि०प्र०से० (कोटि क्रमांक–714/11) सम्प्रति निलंबित एवं मुख्यालय, आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12,14/चारित्री कोषांग, एवं आई.टी. मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना, को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 01.06.18

सरकार के अवर सचिव।